कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।

पत्रांक 262, दिनांक 14.02.19,

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
एन0आई0सी0, मेदिनीनगर, पलामू।

15.2.19

विषय :– **वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं/मान्यता प्राप्त ट्रस्ट/प्राईवेट कंपनी द्वारा पलामू ब्याघ्र आरक्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराये गये कार्यो की समीक्षा एवं वन्यजीव पर्यावास पर प्रभाव के अध्ययन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि पलामू व्याघ्र आरक्ष अन्तर्गत वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न योजनाओं के तहत् किये गये कार्यो की समीक्षा एवं उसके वन्यजीव पर्यावास पर प्रभाव के अध्ययन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं/मान्यता प्राप्त ट्रस्ट/प्राईवेट कंपनी द्वारा समीक्षा की जानी है। इस हेतु गैर सरकारी संस्थाओं/मान्यता प्राप्त ट्रस्ट/प्राईवेट कंपनी से इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव मांगने हेतु सूचना प्रकाशित करना है।

तदनुसार इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव की हॉर्ड एवं सॉफ्ट कॉपी की प्रति संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि राज्य स्तर एवं सभी स्थानीय समाचार पत्रों में दो अलग–अलग तिथियों में संलग्न प्रस्ताव का प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

संलग्नः–यथोक्त।
e-mail id : Ccf-fdptr@gov.in

14.2.2019

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।

कार्यालयः– मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।

इच्छा की अभिव्यक्ति

वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं/मान्यता प्राप्त ट्रस्ट/प्राईवेट कंपनी द्वारा पलामू ब्याघ्र आरक्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराये गये कार्यो की समीक्षा एवं उसके वन्यजीव पर्यावास पर प्रभाव के अध्ययन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज के क्षेत्राधीन पड़ने वाले पलामू व्याघ्र परियोजना के उत्तरी प्रमण्डल एवं दक्षिणी प्रमण्डल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराये गये कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ संस्था को नियोजित करने का निर्णय प्रोफेशनल सेवा मद में प्राप्त राशि से करने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव दिनांक 28.02.2019 (11:00 बजे पूर्वाह्न) तक निम्नवत् अभिलेखों/शर्तो के साथ समर्पित करें :–

1. संस्था का निबंधन पत्र की छायाप्रति।
2. नियमानुसार ईनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन/जी0एस0टी0 न0/टैन न0 आदि का प्रमाण एवं अन्य आवश्यक कागजात।
3. संस्था/ट्रस्ट/कंपनी का पैन कार्ड।
4. संस्था/ट्रस्ट/ कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. विगत तीन वर्षो का ईनकम टैक्स रिर्टन।
6. संस्था के पैनल में शामिल विशेषज्ञों की सूची।
7. इस अध्ययन की अवधि छः माह की होगी एवं व्यय हेतु प्राक्कलन पर अंतिम निर्णय के पश्चात् 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत किया जाएगा।
8. अपने प्रस्ताव के लिए संस्थाओं को Time Table/ Time Frame समर्पित करना होगा एवं उनके कार्यो की Mid term समीक्षा अधोहस्ताक्षरी एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड राँची द्वारा की जाएगी।
9. Mid term समीक्षा में दिए गए सुझावों को सम्मिलित करना संस्थाओं के लिए बाध्यता होगी। अपने प्रस्ताव के साथ संस्थाओं एवं कंपनी को **1000 शब्दों** में कार्यो की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली (Methodology) का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
10. संस्थाओं के चयन में उनके द्वारा समर्पित संलेख एवं संस्था का Reputation विशेषज्ञों की सूची एवं कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। चूंकि यह किसी सामग्री का क्रय नही है अतः संस्थाओं के चयन के न्यूनतम दर का प्रस्ताव देने पर उनका चयन करना कमिटी की बाध्यता नही होगी।

    इस अध्ययन का उद्देश्य कार्यो की गुणवत्ता एवं उनका वन्यप्राणी प्रबंधन में प्रभाव एवं भविष्य की योजनाओं की आवश्यकता के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना होगा।

14.2.2019

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।